

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0संख्या-ल0ज0स0/न0को0/योजनामदूआवंटन(नालन्दा)/45/2024-

पटना,

दिनांक-22/7/26

प्रेषक,

राजीव कुमार झा,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

E-Mail

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा ।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत राज्य नलकूप योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा निर्गत आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत नलकूप योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवंटन निर्गत किया गया है । जिसकी विवरणी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कुल-03 नलकूपों के लिए कुल आवंटन की राशि-1.48274 लाख (एक लाख अड़तालीस हजार दो सौ चौहत्तर) रुपये मात्र है । जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र0	प्रमंडल का नाम	नलकूपों की संख्या	वर्तमान आवंटित राशि		कुल आवंटन
			50-2702031030104 (विषय शीर्ष-27.01)	50-2702037890101 (विषय शीर्ष-27.01)	
1	2	3	4	5	6
1	नालन्दा	3	1.24550	0.23724	1.48274

- आवंटित राशि का नियमानुसार शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित कार्यपालक अभियन्ता का होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित योजनाओं में स्वीकृत राशि के अधीन ही किया जाय। जिन योजनाओं के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जाँच चल रही हो, उसमें अंतिम निर्णय होने एवं विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान किया जाय ।
- आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन हैं । बिहार वित्त नियमावली भाग-1 के नियम-342 के अनुसार पूर्व आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुये, एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाये ।
- योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी पदाधिकारी बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के प्रावधानों तथा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में कार्य कराने के लिए जिम्मेवार होंगे।
- आवंटित राशि का व्यय बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता तथा समय-समय पर दिये गये विभागीय निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय। उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी की तत्काल आवश्यकता हो । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जाय ।
- व्यय प्रतिवेदन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ।
- संबंधित मुख्य अभियन्ता एवं संबंधित अधीक्षण अभियन्ता को निदेश दिया जाता है कि अपने परिक्षेत्राधीन क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे तथा स्थल निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध करायेंगे । यदि आपके द्वारा कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो कार्यों पर किये गये भुगतान की जबाबदेही आप की भी होगी ।

11. संबंधित प्रमंडल को निदेशित किया जाता है कि नलकूप योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य में विभागीय संकल्प संख्या-175(न0को0) दिनांक-29.05.26 के संबंधित कंडिकाओं का अनुपालन किया जाय ।
12. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने परिक्षेत्राधीन क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे तथा स्थल निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध करायेंगे । यदि आपके द्वारा कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो कार्यों पर किये गये भुगतान की जबाबदेही आप की भी होगी ।
13. आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान के रूप में संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।
14. उक्त आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालन्दा होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होगा ।
15. अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना संबंधित योजना एवं उक्त आवंटित राशि के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे ।
16. राशि की निकासी जिला कोषागार, नालन्दा से की जायेगी ।
17. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
18. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया गया है । उक्त वर्णित पत्र के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक:-03 नलकूपों के लिए कुल-1.48274 लाख (एक लाख अड़तालीस हजार दो सौ चौहत्तर) रुपये मात्र।

विश्वासभाजन


(राजीव कुमार झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 189

पटना, दिनांक- 22/7/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/अभियंता प्रमुख/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0) अनुश्रवण/आई0टी0 मैनेजर, आई0टी0कोषांग को विभागीय बेवसाईट पर आवंटन अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक:-03 नलकूपों के लिए कुल-1.48274 लाख (एक लाख अड़तालीस हजार दो सौ चौहत्तर) रुपये मात्र।


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 189

पटना, दिनांक- 22/7/26

E-Mail

प्रतिलिपि:-संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ महालेखाकार, बिहार, पटना/तकनीकी प्रभारी, नलकूप कोषांग/प्रोगामर, नलकूप कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक:-03 नलकूपों के लिए कुल-1.48274 लाख (एक लाख अड़तालीस हजार दो सौ चौहत्तर) रुपये मात्र।


सरकार के उप सचिव



1184

Financial Year 2026-27 Plan Head Allotment M.I. Division, Nalanda

Sno	ID	Tube well Nalme	Block	Panchayat	Estimated Cost (In Rs)	Total Amount Transfer to Mukhiya (In Rs) FY-2018-19 to 2024-25	Requisition Amount	Proposed Allotment
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TwNldRuh0013	TUFANGANJ	RAHUI	IMAMGANJ	134280	53712	53712	53712
2	TwNldRuh0014	IMAMGANJ	RAHUI	IMAMGANJ	134280	53712	53712	53712
3	TwNldRuh0018	SAMABAD	RAHUI	AMBA	136167	54467	40850	40850
TOTAL-					404727	161891	148274	148274

08/07/2026
बैजू कुमार चौधरी,
निम्नवर्गीय लिपिक

08/07/2026
संजय कुमार सुमन,
प्रधान लिपिक

08-07-26
नीतीश कुमार,
कार्यपालक अभियंता

08/07/26
अमरेंद्र कुमार,
प्रभारी, नलकूप कोषांग